न्यायालयः-अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस०सी०एस०टी०एक्ट, बागपत।

पीठासीन अधिकारी- शबिस्ताँ आकिल, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP6283

UPBG010039312025

दाण्डिक निगरानी संख्या -120/2025

1. श्रीमती शमा प्रवीन पत्नी इरशाद, निवासिनी 147/1 मौहल्ला ठाकुर द्वारा बागपत, थाना व जिला बागपत। **.......**निगरानीकत्री।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

2. अमित पुत्र नामालूम

3. प्रशान्त पुत्र नामालूम

4. राजवी पुत्र नामालूम
तैनाती पुलिस थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद।

5. तीन अज्ञात व्यक्ति। ....विपक्षीगण।

निर्णय

1. यह दाण्डिक निगरानी धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत निगरानीकत्री श्रीमती शमा प्रवीन की ओर से विविध प्रार्थनापत्र संख्या 1148/2024, श्रीमती शमा प्रवीन बनाम अमित आदि, अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, थाना बागपत, जिला बागपत के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत के आदेश दिनांकित 18.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा निगरानीकत्री का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को निरस्त किया गया है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में हैं कि प्रार्थिनी /निगरानीकत्री द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें कथन किए गए थे कि दिनांक 27.08.2024 को समय करीब 9.00 बजे से 9:30 बजे के बीच प्रार्थिनी के दोनो भाई शकील व शमीम बुग्गी सें मलबा लेकर मेरठ रोड से कोर्ट रोड बागपत आ रहे थे जब वह ओसो स्टोर के सामने पहुंचे तो वहां पर पहले से दो गाडी जिसका नम्बर यू पी 13 बी यू 1341 व दूसरी पर नम्बर प्लेट नही थी जिसमें अमित, प्रशान्त, राजीव तीन अज्ञात व्यक्ति उतरे और प्रार्थिनी के दोनो भाईयो के सिर में पिस्टल लगा दी और कहा कि भागे तो जान से मार देगे। मना करने पर सभी ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और लूटपाट की तथा जबरदस्ती गला दबाकर गाडी में बैठाकर ले जाने लगे शोर सुनकर पब्लिक इकटठा हो गयी। पब्लिक ने छूट छुटाव कराया, उक्त घटना स्थल के आस पास काफी सी सी टी वी कैमरे लगे हुऐ थे जिसमें पूरी घटना कैद है किसी ने उक्त घटना की सूचना 112 नम्बर पर फोन से पुलिस को दी, पुलिस आयी और उक्त लोगो को पकडकर ले गयी । प्रार्थिनी के भाई शकील द्वारा उक्त घटना की सूचना थाना बागपत को दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तत्पश्चात प्रार्थिनी के भाई शकील द्वारा एक प्रार्थनापत्र दिनांक 28.08.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत व अन्य उच्चाधिकारियो को दिया, जिसकी रसीद प्रार्थिनी के पास है तथा बाद में अपर पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा तीनो व्यक्यिो को लाईन हाजिर कर दिया गया और पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा एक विडियो जारी किया गया जिसमें कहा कि मुलजिमान की तारीख थी जिन्हें पकडने बागपत गये थें। प्रार्थिनी ने उक्त समस्त घटना की बाबत एक प्रार्थनापत्र दिनांक 23.09.2024 को पुलिस अधीक्षक बागपत को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई जिस कारण से मान्य न्यायालय में प्रार्थना पत्र योजित किया है। अतः थानाध्यक्ष बागपत को प्रार्थिनी की रिपोर्ट उपरोक्त विपक्षीगण के विरूद्ध दर्ज

Digitally signed by Shabistan Aquil
Date: 2026.04.09 10:38:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. उक्त प्रार्थनापत्र पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा निगरानीकत्री को सुनकर तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात आलोच्य आदेश दिनांकित 18.03.2025 के द्वारा प्रार्थिनी/निगरानीकत्री का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को निरस्त कर दिया गया।

4. जिसके विरूद्ध प्रार्थिनी/निगरानीकत्री द्वारा यह निगरानी कागज संख्या 3 अ प्रस्तुत करते हुए निगरानी में लिए गए आधार संक्षेप में हैं कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश खिलाफ कानून एवं काल्पनिक तथ्यो पर आधारित है। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र का सही प्रकार से अध्ययन, अवलोकन किये बिना विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय कानूनी मस्तिष्क प्रयोग नही किया है तथा कानूनी व्यवस्थाओ के विरूद्ध मनमाने ढंग से निर्णय एवं आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानूनी विश्लेषण नही किया है तथा साक्ष्य की अनदेखी कर कल्पनाओ के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। निगरानीकत्री ने अपने प्रार्थनापत्र धारा 173 (4) बी एन एस एस में जो कथन किये है, वह सत्य कथनो पर आधारित है। उक्त प्रकरण फौजदारी प्रकरण है। पुलिस थाना बागपत/क्षेत्राधिकारी पुलिस बागपत द्वारा जो आख्या उक्त घटना की जाँच की बाबत न्यायालय में प्रेषित की है वह विपक्षीगण से मिली भगत करके प्रेषित की है। न्यायालय द्वारा पुलिस को ही न्यायिक अधिकारी मान लिया है निगरानीकत्री को न्याय से वचित कर दिया है विद्वान अवर न्यायालय द्वारा न्याय पूर्ण तरीके से धारा 173 (4) बी एन एस एस के प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं किया गया है। निगरानीकत्री ने घटना को साबित किया है जिसकी सी०सी०टी०वी फुटेज लगे हुए कैमरो में कैद है। इसके बावजूद भी निगरानीकत्री का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। निगरानीकत्री का प्रार्थना पत्र दिये गये तथ्यों से संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रतीत है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज होकर उक्त प्रकरण की जॉच किया जाना जरूरी है इन तथ्यो की अनदेखी करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 18.03.2025 निरस्त किया जाकर विपक्षीगण संख्या 2 ता 5 के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने हेतू थानाध्यक्ष बागपत को आदेशित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. निगरानीकत्री द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथपत्र, स्वंय के आधारकार्ड की छायाप्रति व आलोच्य आदेश की सत्यप्रतिलिपि तथा पुलिस अधीक्षक, बागपत, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, डी०जी०पी० लखनऊ, आई०जी० मेरठ जोन मेरठ, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, अध्यक्ष अल्प संख्यक आयोग भारत सरकार नई दिल्ली, प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषत प्रार्थना पत्रों की छायाप्रतियॉ, उनसे संबंधित रजिस्टर्ड डाक की मूल रसीदें तथा जनपद बागपत जन शिकायत प्रकोष्ठ की मूल पर्ची एवं पैन ड्राईव दाखिल की गयी हैं।

6. विपक्षीगण संख्या 2 व 4 की ओर से आपत्ति 13 ब प्रस्तुत करते हुए निगरानी मैमो में किये गये कथनों को गलत बताया और यह कथन किया गया है कि निगरानीकत्री द्वारा प्रस्तुत निगरानी असत्य कथनो के आधार पर एवं विपक्षीगण संख्या 2 ता 4 पर दबाव बनाकर रूपया ऐंठने के उददेश्य से व बिना वादी (शकील) की सहमति से न्यायालय मे योजित की है। वास्तविकता यह है कि दिनांक 27.08.2024 को थाना लोनी जनपद गाजियाबाद से उ०नि० राहुल शर्मा मय हैड कान्सटेबिल राजीव हुड्डा मय हैड कान्सटेबिल अमित कुमार व हैड कान्सटेबिल प्रशान्त कुमार व हैड कान्सटेबिल भूपेन्द्र अत्री तैनाती थाना लोनी जिला गाजियाबाद अपने प्राईवेट वाहन से लोनी गाजियाबाद पेरीफेरल मुरादनगर होते हुए सन्देह के आधार पर चोर नूर मौहम्मद उर्फ रिंकू पुत्र अज्ञात जो कि एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश था निवासी गिरि मार्केट लोनी गाजियाबाद के वाहन का पीछा करते

हुए बागपत मेरठ रोड आये थे। चोर नूर मौहम्मद उपरोक्त अपनी गाडी को लेकर धोखा देने के उददेश्य से इधर-उधर जा रहा था और उपरोक्त पुलिसकर्मियो से ओझल हो गया था पुलिसकर्मियो ने चोर नूर मौहम्मद जैसे कपडे पहने व्यक्ति को रोककर पूछताछ की तो उसने घबराकर शोर मचा दिया जिससे वहां भीड भी इकठठा हो गयी परन्तु नाम पता तसदीक होने पर पुलिसकर्मियो ने उक्त व्यक्ति को छोड दिया और उसके बाद थाना बागपत पर आये उपरोक्त प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण थाना बागपत की जी०डी०नं० 98 समय 23.04 बजे दिनांक 27. 08.2024 को ही दर्ज करा दिया था तथा थाना लोनी में भी दिनांक 27.08.2024 को दर्ज कराया गया था। उपरोक्त पुलिसकर्मियो द्वारा निगरानकत्री के भाई के साथ की गयी पूछताछ के बाद उक्त व्यक्ति को छोड दिया था। चूंकि संदेही का पीछा करना अक्समात की घटना थी। रोजनामचा थाना बागपत व लोनी एवं आपराधिक इतिहास भागे हुए बदमाश नूर मौहम्मद की छाया प्रति आपत्ति के साथ संलग्न है। उक्त घटना के सम्बन्ध में स्वयं निगरानीकत्री के भाई शकील द्वारा भी थानाध्यक्ष बागपत को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था कि विपक्षीगण द्वारा उसके साथ दिनांक 27.08.2024 को कोई मारपीट या बदत्तमीजी नही की और न ही कोई पिस्टल से धमकी दी थी तथा सक्षम अधिकारी को भी इस आशय का शपथपत्र दिया गया था तथा नोटरी द्वारा एक समझौतानामा भी दिनांक 10.10.2024 को लिखाया था कि उसकी बहन शमा परवीन ने जो शिकायती प्रार्थना पत्र अधिकारियो एवं न्यायालय सी०जे०एम० बागपत मे योजित किया है वह बिना किसी आधार के दिया है उक्त विपक्षीगण द्वारा उसके साथ कोई अमानवीय कृत्य नहीं किया है केवल शक के आधार पर एवं पूछताछ करने के उददेश्य से जांच की गयी थी और जांच के बाद प्रार्थी व उसके भाई को छोड दिया गया था। याचना की गयी है कि शमा परवीन के शिकायती प्रार्थना पत्र को बलहीन मानते हुए निरस्त कर दिया जाये। तथा मान्य अवर न्यायालय में भी निगरानीकत्री के भाई द्वारा एक शपथपत्र दिनांक 10.10.2024 को इस आशय का दिया गया था कि विपक्षीगण द्वारा मात्र शक के आधार पर पूछताछ करने के उददेश्य से रोका गया था परन्तु वास्तविकता पता लगने पर उसे व उसके भाई को तुरन्त ही छोड दिया था। निगरानीकत्री द्वारा विपक्षीगण संख्या 2 ता 4 पर दबाव बनाकर रूपया ऐंठने के उददेश्य से सही तथ्य छिपाकर असत्य कथनो के आधार पर झूठा प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय में योजित किया गया है जिसमे कोई सच्चाई नही है। जिसे परीक्षण न्यायालय ने विधि अनुसार आदेश दिनांक 18.03.2025 के द्वारा निरस्त किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपने पूर्ण न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं दस्तावेजो का विधि अनुसार विश्लेषण करते हुए पारित किया गया है जो प्रत्येक दशा में स्थिर रहने योग्य हैं। अतः निगरानीकत्री द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

7. विपक्षी संख्या 2 की ओर से शपथपत्र के साथ संलग्नक के रूप में जी०डी० संख्या 98 , अभियुक्त् नूर मौहम्मद उर्फ रिंकू एवं उसके विरूद्ध दर्ज मुकदमों का विवरण , शकील का प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र तथा आपसी समझौते की प्रति दाखिल की गयी हैं।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. निगरानी के स्तर पर निगरानी न्यायालय को विधित: यह देखा जाना आवश्यक एवं अपेक्षित है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में कोई अवैधानिकता, अनियमितता तथा तात्विक त्रुटि कारित की गयी अथवा नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **अमित कपूर बनाम रमेशचन्द (2012) 9 एस०सी०सी० 468 एस०सी०** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय को परीक्षण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का तब क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है जब परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाकर कोई निष्कर्ष या आदेश पारित किया गया हो अथवा मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया हो। पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियॉ बहुत ही सीमित होती है। उपरोक्त परिस्थिति में पुनरीक्षण न्यायालय अपनी

शक्तियों का प्रयोग कर सकता है अन्यथा नहीं। पुनरीक्षण न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष को निरस्त कर अपने विचार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दे। पुनरीक्षण न्यायालय को मात्र यह देखना होता है कि पारित आदेश में कोई अवैधानिकता, अनियमितता है अथवा नहीं। पुनरीक्षण न्यायालय मात्र संदेह के आधार पर प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

10. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 27.08.2024 को समय करीब 9.00 बजे से 9:30 बजे के बीच उसके दोनो भाई शकील व शमीम बुग्गी सें मलबा लेकर मेरठ रोड से कोर्ट रोड बागपत आ रहे थे और जब वह ओसो स्टोर के सामने पहुंचे तो वहां पर पहले से दो गाडी जिसका नम्बर यू पी 13 बी यू 1341 व दूसरी पर नम्बर प्लेट नही थी जिसमें अमित, प्रशान्त, राजीव तीन अज्ञात व्यक्ति उतरे और उसके दोनो भाईयो के सिर में पिस्टल लगा दी और कहा कि भागे तो जान से मार देगे। मना करने पर सभी ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और लूटपाट की तथा जबरदस्ती गला दबाकर गाडी में बैठाकर ले जाने लगे। अपने कथन के समर्थन में निगराकत्री द्वारा उपरोक्त घटना की एक पैन ड्राईव भी दाखिल की गयी है।

11. विपक्षीगण की ओर से आपत्ति में मुख्यतः यह कथन किये गये हैं कि वास्तविकता यह है कि दिनांक 27.08.2024 को थाना लोनी जनपद गाजियाबाद से उ०नि० राहुल शर्मा मय हैड कान्सटेबिल राजीव हुड्डा मय हैड कान्सटेबिल अमित कुमार व हैड कान्सटेबिल प्रशान्त कुमार व हैड कान्सटेबिल भूपेन्द्र अत्री तैनाती थाना लोनी जिला गाजियाबाद अपने प्राईवेट वाहन से लोनी गाजियाबाद पेरीफेरल मुरादनगर होते हुए सन्देह के आधार पर चोर नूर मौहम्मद उर्फ रिंकू पुत्र अज्ञात जो कि एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश था निवासी गिरि मार्केट लोनी गाजियाबाद के वाहन का पीछा करते हुए बागपत मेरठ रोड आये थे। चोर नूर मौहम्मद उपरोक्त अपनी गाडी को लेकर धोखा देने के उददेश्य से इधर-उधर जा रहा था और उपरोक्त पुलिसकर्मियो से ओझल हो गया था पुलिसकर्मियो ने चोर नूर मौहम्मद जैसे कपडे पहने व्यक्ति को रोककर पूछताछ की तो उसने घबराकर शोर मचा दिया जिससे वहां भीड भी इकठठा हो गयी परन्तु नाम पता तसदीक होने पर पुलिसकर्मियो ने उक्त व्यक्ति को छोड दिया और उसके बाद थाना बागपत पर आये उपरोक्त प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण थाना बागपत की जी०डी०नं० 98 समय 23.04 बजे दिनांक 27. 08.2024 को ही दर्ज करा दिया था तथा थाना लोनी में भी दिनांक 27.08.2024 को दर्ज कराया गया था। उपरोक्त पुलिसकर्मियो द्वारा निगरानकत्री के भाई के साथ की गयी पूछताछ के बाद उक्त व्यक्ति को छोड दिया था।

12. पत्रावली पर कैलाश चंद, उ०नि० थाना बागपत की रिपोर्ट कागज संख्या 35 दिनांकित 07-10-2024 उपलब्ध है। जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 27-08-2024 को थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद से उ०नि० राहुल शर्मा, मय हैड कान्सटेबिल राजीव हुडडा, मय हैड कान्सटेबिल प्रशान्त कुमार व हैड कान्सटेबिल भूपेन्द्र अत्री, तैनाती थाना लोनी जिला गाजियाबाद अपने प्राईवेट वाहन से लोनी गाजियाबाद पैरीफेरल मुरादनगर होते हुए संदेह के आधार पर चोर नूर मौहम्मद उर्फ रिंकू पुत्र अज्ञात निवासी गिरी मार्किट लोनी गाजियाबाद के वाहन का पीछा करते हुए बागपत-मेरठ रोड आए थे। चोर नूर मौहम्मद उपरोक्त अपनी गाडी को लेकर धोखा देने के उददेश्य से इधर-उधर जा रहा था और उपरोक्त पुलिस कर्मियों से ओझल हो गया था। पुलिस कर्मियों ने चोर नूर मौहम्मद जैसे व्यक्ति को रोककर पूछताछ की तो उसने घबराकर शोर मचा दिया जिससे भीड इकटठा हो गयी। नाम पता तस्दीक होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति को छोड दिया और और उसके बाद थाना बागपत पर आए। उपरोक्त प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण थाना बागपत की जी०डी० 98 समय 23:04 बजे दिनांक 27-08-2024 को ही दर्ज करा दिया था जिसकी प्रति संलग्न है। आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों की जॉच से पुष्टि नहीं हो रही है। उक्त आख्या के साथ जी०डी० संख्या 98

दिनांकित 27-08-2024 समय 23:04 बजे कागज संख्या 39 संलग्न की गयी है। घटना के संबंध में मौके के आस पास के लोगों से जानकारी करने का प्रयास किया गया तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई जानकारी नहीं होना बताया। उक्त पुलिसकर्मियो द्वारा आवेदिका के भाई के साथ किये गये उक्त बर्ताव के कारण आवेदिका द्वारा यह प्रार्थना पत्र आरोप बढाचढा कर दिया गया है। आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। प्रार्थना पत्र से संबंधित घटना भ्रमवश होना प्रतीत हो रही है।

13. पत्रावली पर क्षेत्राधिकारी हरीश सिंह भदौरिया की आख्या 27 दिनांकित 20-02-2025 उपलब्ध है जिसमें उपरोक्त घटना को लगभग समान रूप से वर्णित किया गया है एवं उपरोक्त आख्या का समर्थन किया गया है।

14. उपरोक्त से विदित होता है कि पुलिसकर्मियो द्वारा आपत्ति 13ब में अपनी उपस्थिति घटनास्थल पर स्वीकार की गयी है। यह भी स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा भ्रम में निगराकत्री के भाईयों को पकड़ लिया गया था और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया था। जिसकी पुष्टि पुलिस अधिकारी द्वारा दी गयी आख्याओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध जी०डी० संख्या 98 दिनांकित 27-08-2024 समय 23:04 बजे से भी होती है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि घटना समय 9 बजे से 9:30 बजे के बीच की दर्शायी गयी है। जबकि बागपत में जी०डी० समय 11:04 रात्रि में दर्ज करायी गयी है। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि घटना की जी०डी० की प्रविष्टि बाद में और विलम्ब से दर्ज क्यों करायी गयी है जबकि थाना घटनास्थल से लगभग 300-400 मीटर ही दूर है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि बागपत आते समय उनके द्वारा थाना बागपत की पुलिस को कोई सूचना प्रेषित की गयी थी अथवा नहीं।

15. आख्या में यह भी वर्णित है कि लोनी, जनपद गाजियाबाद में तैनात उ०नि० राहुल शर्मा, मय हैड कान्सटेबिल राजीव हुडडा, हैड कान्सटेबिल प्रशान्त कुमार व हैड कान्सटेबिल भूपेन्द्र अत्री एक चोरी के व्यक्ति नूर मौहम्मद का पीछा करते हुए बागपत आ पहुॅचे परन्तु आख्या में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यदि ये पुलिसकर्मी अपने थाने लोनी, जनपद गाजियाबाद से अभियुक्त का पीछा करने निकले थे तो उनके द्वारा रवानगी के संबंध में कोई जी०डी० प्रविष्टि की गयी थी अथवा नहीं या अपने उच्चाधिकारी को ऐसी कोई सूचना प्रेषित की गयी थी या नहीं। ऐसी कोई जी०डी० अथवा सूचना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करायी गयी जिसके द्वारा उक्त पुलिस कर्मी अपने थाने/तैनाती के स्थान से वांछित अपराधी की तलाश में निकले हो। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि उक्त पुलिस कर्मी सरकारी कार्य सम्पादित कर रहे थे तो वे अपने सरकारी वाहन से क्यों नहीं आए, उनके द्वारा प्राईवेट वाहन क्यों प्रयोग किया गया, इसके संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मियो द्वारा जिस अभियुक्त नूर मौहम्मद उर्फ रिंकू के पीछा करते-करते बागपत आने का उल्लेख किया है उसके संबंध में वादों का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उनमें गाजियाबाद से संबंधित सभी प्रकरणों में उसे जमानत पर दर्शाया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि वह जमानत पर था तो पुलिसकर्मी उसका पीछा किस कारण से कर रहे थे। विवेचनाधीन प्रकरणों में भी वांछित अपराधी के विरूद्ध कोई मुकदमा गाजियाबाद जनपद से संबंधित नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त नूर मौहम्मद उर्फ रिंकू का पता आपत्तिकर्तागण द्वारा उसके दो पते दिल्ली व एक पता लोनी, गाजियाबाद का दर्शाया गया है। जनपद बागपत का कोई पता नहीं दर्शाया गया है।

16. यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदिका द्वारा एक वाहन की संख्या यू०पी० 13 बी०यू० 1341 व दूसरी पर नम्बर प्लेट न होने का कथन किया गया है। थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी दोनों ने ही अपनी आख्याओं में केवल प्राईवेट वाहन होने का कथन किया है। उनके द्वारा वाहन संख्याओं का कोई

उल्लेख नहीं किया गया है।

17. निगरानीकत्री द्वारा मारपीट करना, लूट करना, सदोष परिरोध में रखने एवं सिर पर पिस्टल लगाकर जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर यदि धारा 309(4), 127(2) बी०एन०एस० के अपराधों को देखा जाए तो उक्त दोनों अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में तथा धारा 115(2), 351(2) बी०एन०एस० के अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं।

18. इस संबंध में माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा **क्रिमनिल अपील संख्या 352/2020 ओमप्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 16.01.2025** में दिए गए सम्प्रेषण का उल्लेख करना सुसंगत प्रतीत होता हैः-

The Magistrate is required to exercise his mind while doing so. He should pass orders only if he is satisfied that the information reveals commission of cognizable offences and also about the necessity of police investigation for digging out of evidence neither in possession of the complainant nor can be procured without the assistance of the police.... In fact, the Magistrate ought to direct investigation by the police only where the assistance of the Investigating Agency is necessary and the Court feels that the cause of justice is likely to suffer in the absence of investigation by the police.

Sub-section (4) of Section 175 of the BNSS is a new addition to the scheme of investigation of cognizable cases when compared with the scheme previously existing in Section 156 of the Cr.P.C. It provides an additional safeguard to a public servant against whom an accusation of committing a cognizable offence arising in the course of discharge of his official duty is made. The provision stipulates that any Magistrate who is empowered to take cognizance under Section 210 of the BNSS may order investigation against a public servant upon receiving a complaint arising in course of the discharge of his official duty, only after complying with the following procedure:

> a. Receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to the accused public servant; and b. Considering the assertions made by the accused public servant as regards the situation that led to the occurrence of the alleged incident.

A comparison of Section 175(3) of the BNSS with Section 156(3) of the Cr.P.C. indicates three prominent changes that have been introduced by the enactment of BNSS as follows:

> a. First, the requirement of making an application to the Superintendent of Police upon refusal by the officer in charge of a police station to lodge the FIR has been made mandatory, and the applicant making an application under Section 175(3) is required to furnish a copy of the application made to the Superintendent of Police under Section 173(4), supported by an affidavit, while making the application to the Magistrate under Section 175(3).
>
> b. Secondly, the Magistrate has been empowered to conduct such enquiry as he deems necessary before making an order directing registration of FIR.

c. Thirdly, the Magistrate is required to consider the submissions of the officer in charge of the police station as regards the refusal to register an FIR before issuing any directions under Section 175(3).

19. उपरोक्त से विदित है कि पत्रावली पर थानाध्यक्ष एवं सी०ओ० की आख्या उपलब्ध है। निगरानीकत्री द्वारा अपना शपथपत्र भी दाखिल किया गया है और उसके द्वारा एवं उसके भाई पीड़ित के द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है जिसकी पावती पत्रावली पर दाखिल की गयी है। पुलिस द्वारा दाखिल आख्याओं में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई मामला इस सबंध में पंजीकृत है अथवा नहीं और पुलिस अधीक्षक को भेजे गए प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी।

20. जहॉ तक विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में यह अंकित करना कि यदि विधि सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध आपराधिक मामला संस्थित करने से पूर्व अभियोजन स्वीकृति को आवश्यक बताती है तो न्यायालय बिना अभियोजन स्वीकृति के उस मामले में सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती। प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस कर्मियों द्वारा उक्त् कार्य उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन स्वीकृति संज्ञान से पूर्व आवश्यक है।

21. यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि आवेदिका ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसके भाईयों से किस वस्तु की लूटपाट की गयी, उल्लेखनीय है कि यह जॉच का विषय है। जहॉ तक मारपीट के संबंध में चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल न होने का प्रश्न है तो उल्लेखनीय है कि यदि उपहति साधारण हो तो आवश्यक नहीं है कि चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल किया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी अन्वेषण का विषय है कि श्रमिको द्वारा उक्त् मारपीट के पश्चात कोई चिकित्सीय परीक्षण कराया गया था अथवा नहीं।

22. इस प्रकार स्पष्ट है कि पुलिसकर्मियो द्वारा उस समय घटनास्थल पर होना और दोनों श्रमिको को पकड़ना स्वीकार किया गया है। जहॉ तक मारपीट एवं लूट प्रश्न है वह अन्वेषण से ही पता चल सकता है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि ऐसा उनके द्वारा नूर मौहम्मद के भ्रम में किया गया है, यह भी जॉच का विषय है। निगरानीकत्री/प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों से विदित है कि पुलिसकर्मियो द्वारा प्रार्थिनी के श्रमिक भाईयों के साथ उपरोक्त कृत्य किया गया है जबकि पुलिसकर्मी होने के कारण उनका यह दायित्व है कि वे आम जनता को सुरक्षा प्रदान करें और उनमें इस भावना का प्रवहन करें कि पुलिसकर्मी उन्हें तंग परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हैं। यदि वे आम जनता को परेशान करेंगे तो उनका पुलिस प्रशासन/संस्था से विश्वास उठ जायेगा। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पुलिस का कर्तव्य है कि मानवाधिकारों, विधिक अधिकारों की सुरक्षा करे।

23. उपरोक्त विश्लेषण एवं विधि व्यवस्था के प्रकाश में न्यायालय के मत में चूँकि प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध कारित होना प्रतीत होता है। अतः विद्वान परीक्षण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18.03.2025 स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

निगरानीकत्री द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या 120/2025, श्रीमती शमा प्रवीन बनाम उ०प्र०राज्य आदि स्वीकार की जाती हैं। विद्वान परीक्षण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा विविध प्रार्थना पत्र संख्या 1148/2024, श्रीमती शमा प्रवीन बनाम अमित आदि में पारित आदेश दिनांकित 18.03.2025 अपास्त किया जाता है। विद्वान परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानी में दिये गये निष्कर्ष के प्रकाश में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया

जाना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत मामला वर्ष 2024 से लम्बित है। अतः विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह भी आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण एक माह के भीतर करना सुनिशिचत करेगे।

प्रस्तुत निगरानी की पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनाँक : 07.04.2026 **(शबिस्तॉ आकिल)**

अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०एस०टी०एक्ट, बागपत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनाँक : 07.04.2026 **(शबिस्तॉ आकिल)**

अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०एस०टी०एक्ट, बागपत।